रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1990/श्रावण 2, 1912
No. 417] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 1990/SRAVANA 2, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1990

का.आ. 532(E).—यतः केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक महत्व के एक निश्चित मामले, जिसे इसके बाद विनिर्दिष्ट किया गया है की जांच करने हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है,

अतः, अब जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें केवल एक सदस्य अर्थात् न्यायमूर्ति श्री डी.पी. मदोन, उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे।

2. यह आयोग निम्नलिखित मामलों के संबंध में जांच पड़ताल करेगा :--

(क) महम विधान सभा क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के लिए उप चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार, श्री अमीर सिंह की 16/17 मई, 1990 की रात के दौरान हुई मृत्यु से तुरन्त पहले की परिस्थितियां जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई;

(ख) गांव मदीना में घटित हिंसक घटनाओं से संबंधित तथ्य तथा इन घटनाओं में पुलिस अधिकारियों की भूमिका, तथा

(ग) इससे संबंधित या प्रासंगिक कोई अन्य मामला।

3. जांच पूरी करके आयोग तीन माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

4. केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) तथा उपधारा (5) के सभी उपबन्धों को आयोग पर लागू किया जाना चाहिए, अतः उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त धारा की उक्त उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग पर लागू होंगे।

[एफ. सं. IV-15013/1/90-सी. एस. आर]
नरेश चन्द्र, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1990

S.O. 582(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance hereinafter specified;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inuiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely : Shri Justice D. P. Madon, Retired Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters :—

(a) the circumstances immediately preceding and resulting in the death, during the night of 16th|17th May, 1990, of Shri Amir Singh, one of the candidates in the bye-election to the Haryana Legislative Assembly from Meham Constituency;

(b) facts relating to the violent incidents in village Madina and the role of the police authorities therein; and

(c) any other matter connected therewith or incidental thereto.

3. The Commission shall complete its inquiry and submit its report to the Central Government within a period of three months.

4. And whereas, the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the said Commission.

[No. IV|15013|1|90-CSR]
NARESH CHANDRA, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.

श्री एल० एन० सिन्हा, भारत के भूतपूर्व महान्यायवादी के त्याग पत्र देने के परिणाम-स्वरूप हुए रिक्त स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 4-30/90-यू]

एस० जी० मांकड, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1990

S.O. 583(E)|—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with Sub-Section (4) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Prof. Ramlal Parikh, Vice-Chancellor, Gujarat Vidyapeeth, to be a member of the University Grants Commission for a term of three years in the vacancy caused by the resignation of Shri L. N. Sinha, former Attorney General of India.

[No. F. 4-30|90-U.I]

S. G. MANKAD, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990.